LEGAL SUCCESS LAW CLASSES

महिलाओं का अि ष्ट रूपण (निशेध) अधिनियम, 1986

प्र० 1. इस कानून का क्या नाम है?
उ०:– इस कानून का नाम ''महिलाओं का अि ष्ट रूपण (निशेध) अधिनियम'' 1986 है।

प्र० 2. यह कानून कब अधिनियमित हुआ?
उ०:– यह 23 दिसम्बर 1986 को अधिनियमित हुआ।

प्र० 3. यह अधिनियम क्यों अधिनियमित हुआ?
उ०:– यह विज्ञापनों के द्वारा या प्रका ानों, लेखनों, रेखांकनों, आकृतियों या अन्य प्रकार से महिलाओं की अि ष्ट रूपण को रोकने के लिए पारित किया गया।

प्र० 4. इस कानून द्वारा क्या निशेध किया गया?
उ० 1. किसी भी महिला या उसके भारीर के किसी भी हिस्से का इस प्रकार चित्रण या प्रर्द ान जिससे महिला की गरिमा को हानि हो या वह जन नैतिकता को हानि पहुँचाती हो।
2. उन सभी विज्ञापनों, प्रका ानों इत्यादि पर रोक जो अ लील हों।
3. ऐसी सभी किताबों, पैमफलेट इत्यादि के प्रका ान, बिक्री, विक्रय पर रोक जो महिला गरिमा के विरूद्ध हो।

प्र० 5. क्या भारत में अ लीलता से संबंधित कोई दूसरा कानून है?
उ०:– हाँ, भारतीय दंड संहिता की धारा 292, 293 तथा 294 (तालिका देखें)।

प्र०.6. अ लीलता को रोकने के लिए अलग विधान लाने की जरूरत क्यों पड़ी?
उ०:– भारतीय दंड संहिता की उपरोक्त व्याख्या रहने के बावजूद, महिलाओं का अि ष्ट रूपण, खासकर विज्ञापनों में हर दिन गुणात्मक गति से बढ़ती जा रही थी। यह महिलाओं को नीचा दिखाती थी। यह व्यक्ति को भ्रश्ट भी बनाती है, खासकर युवा पीढ़ों को। इसलिए विज्ञापनों के द्वारा, पुस्तक, पुस्तिकाओं, आदि में महिलाओं की अि ष्ट रूपण को प्रभावपूर्ण ढंग से रोकने के लिए एक अलग विधान बनाने की आव यकता महसूस की गयी।

प्र० 7. इस अधिनियम के विनिर्दिश्ट उद्दे य क्या हैं?
उ०:– इसके उद्दे य निम्नलिखित हैं –
(क) महिलाओं की अि ष्ट रूपण को परिभाशित करना।
(ख) उन सारे विज्ञापनों, प्रका ानों, आदि को रोकना जो किसी भी प्रकार से महिलाओं की अि ष्ट रूपण करते हैं।
(ग) महिलाओं की अि ष्ट रूपण युक्त पुस्तक, पुस्तिकाओं, आदि की बिक्री, वितरण तथा प्रचार–प्रसार पर रोक लगाना।
(घ) दोशी को दंड देना।

1. अधिनियम का अनुप्रयोग

प्र० 8. भारत के किन–किन क्षेत्रों में यह अधिनियम लागू होता है?
उ०:– यह सम्पूर्ण भारत में लागू होता है।

प्र० 9. यह अधिनियम कब लागू हुआ?
उ०:– 23 दिसम्बर 1986 को।

2. परिभाशाएँ

प्र० 10. अधिनियम में प्रयुक्त निम्नलिखित भाब्दों में क्या अर्थ हैं?

उ०:— अधिनियम में

(क) ''विज्ञापन'' के अन्तर्गत आता है किसी प्रकार की सूचना, परिपत्र, लेबुल, लपेटन या दूसरे कागजात तथा कोई भी दिखने योग्य चित्रण जो कि प्रका ा, ध्वनि, धुँआ या गैस से बना हो।

(ख) ''वितरण'' के अन्तर्गत आता है — नमूने के रूप में खुला विवरण।

(ग) ''महिलाओं की अ ि ाश्टि रूपण का अर्थ है, महिलाओं की आकृति, रूप, भारीर या किसी अंग का उस तरह चित्रण जो कि अभद्र, अ ि ाश्ट और अपमानजनक प्रभाव डालता हो अथवा जननैतिकता के लिए कलुशित, भ्रश्ट या घातक साबित होता है।

(घ) ''लैबुल'' यह अर्थ है, कोई भी लिखित, अंकित, मुहरबंद, छापित या रेखांकित वस्तु जो किसी भी पुलिन्दे/पैकेज से जोड़ा या द ार्या गया हो।

(ड) ''पैकेज'' के अन्तर्गत बक्सा, गत्ते का बक्सा, टीन या सामान रखने का कोई और उपक्रम आता है।

3. महिलाओं की अ ि ाश्ट रूपण युक्त विज्ञापनों का निशेध

प्र० 11. धारा 3 के द्वारा क्या निशेध हैं?

उ०:— यह धारा उन विज्ञापनों के प्रद िन, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, पर रोक लगाता है जो किसी भी रूप में महिलाओं की अ ि ाश्ट रूपण करते हैं।

4. प्रका ान या डाक से भेजे जाने वाली पुस्तक, पुस्तिकाओं, आदि का निशेध

प्र० 12. यह धारा के द्वारा क्या निशेध है?

उ०:— यह धारा उन पुस्तकों, पुस्तिकाओं, कागज, स्लाइड, फिल्म लेखन, रंग चित्र, रेखांकित तस्वीर, रूपण या आकृति के उत्पादन, बिक्री, भाड़े, वितरण, प्रसार, डाक से भेजी जाने पर रोक लगाती है जो किसी भी रूप में महिलाओं की अ ि ाश्ट रूपण करते हैं।

प्र० 13. यह धारा किस प्रकार के प्रका ानों पर लागू नहीं होती?

उ०:— यह धारा निम्न प्रका ानों पर लागू नहीं होती —

(क) कोई पुस्तक, पुस्तिका, कागज, स्लाइड, फिल्म, लेखन, रेखाचित्र, रंगचित्र, तस्वीर, रूपण या आकृति।

(ख) जिनका प्रका ान इस आधार पर न्यायोचित साबित हो कि ये पुस्तक, पुस्तिकाएँ, कागज, स्लाइड, फिल्म, लेखन, रंगचित्र, रेखांकित, तस्वीर, रूपण, आकृति, विज्ञान, साहित्य, कला ि ाक्षा या दूसरे आम फायदे या जनहित में हो।

(ग) जो कि धार्मिक उद्दे यों के लिए रखा गया हो या आस्था के रूप में इस्तेमाल होता हो।

प्र० 14. क्या यह धारा पुराने स्मारक की किसी अभिव्यक्ति नक्का ी, खुदाई, रेखांकन या अन्य अभिव्यक्ति पर भी लागू होती है?

उ० :— नहीं।

प्र० 15. क्या यह धारा किसी मन्दिर या धार्मिक उद्दे यों के लिए मूर्तियां ढोने वाले वाहन पर भी लागू होती हैं?

उ० :— नहीं।

प्र० 16. क्या चल चित्रिकी अधिनियम 1952 के खंड 11 के प्रावधानों के लागू होने पर भी धारा 4 किसी भी चलचित्र पर लागू होती हैं?

उ० :— नहीं।

5. प्रवे ा एवं तला ी की भाक्ति

प्र० 17. इस धारा के अन्तर्गत तला ी करने के लिए किसे प्राधिकृत किया गया है?

उ० :— राज्य सरकार द्वारा कोई भी राजपत्रित अधिकारी।

प्र० 18. वह कब तला ी कर सकता है?

LEGAL SUCCESS

उ० :– वह क्षेत्र के स्थानीय सीमाओं के अन्दर तला ी कर सकता है जिसके लिए उसे अधिकृत किया गया हो।

प्र० 19. इस धारा के अन्तर्गत उसके राज्य प्राधिकार हैं?
उ० :– वह उस स्थान पर प्रवे ा एवं तला ी कर सकता है जहाँ उसका वि वास करने का कारण हो कि इस अधिनियम के अन्तर्गत अपराध हुआ है या हो रहा है।

प्र० 20. वह किस समय तला ी करने के लिए प्राधिकृत है?
उ० :– सभी उचित समय पर।

प्र० 21. क्या वह तला ी के दौरान दूसरे लोगों की सहायता भी ले सकता हैं?
उ० :– हाँ।
प्र० 22. वह जाँच के स्थान से क्या–क्या ले सकता है?
उ० :– वह कोई भी विज्ञापन या पुस्तक, पुस्तिका, कागज, स्लाइड, फिल्म, लेखन, रंगचित्र, रेखांकित, तस्वीर, रूपण या आकृति ले सकता है जो उसके वि वास में कारण के आधार पर इस अधिनियम के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन करता है।

प्र० 23. क्या उसे किसी भी दस्तावेज, बही, कागजात, या कोई दूसरी वस्तु जो कि तला ी के स्थान पर मिली हो, को परीक्षण करने की भाक्ति है?
उ० :– हाँ।

प्र० 24. वह कब उन वस्तुओं को जब्त कर सकता है?
उ० :– वह उन्हें जब्त कर सकता है अगर कारणों के आधार पर उसे वि वास हो कि जब्ती वस्तुएँ इस अधिनियम के तहत अपराध करने पर दण्ड के लिए सबूत के तौर पर पे ा किए जा सकते हैं।

प्र० 25. क्या राजपत्रित अधिकारी किसी निजी मकान में बिना वारंट के प्रवे ा करने के लिए स ाक्त हैं?
उ० :– नहीं।

प्र० 26. क्या इस अधिनियम के तहत किसी तला ी या जब्ती के लिए दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के उपबंध लागू होती है?
उ० :– हाँ।

प्र० 27. संहिता की कौन सी धारा इस अधिनियम के तहत तला ी या जब्ती के लिए लागू होती है?
उ० :– संहिता की धारा 94

प्र० 28. किसी प्राधिकृत अधिकारी को तला ा के दौरान जब्त की गयी वस्तुओं का क्या करना चाहिए?
उ० :– उसे तुरंत इसकी सूचना नजदीक के मजिस्ट्रेट को देनी चाहिए और उसे अपने अभिरक्षा में रखने का आदे ा लेना चाहिए।

6. भाास्ति (दंड)

प्र० 29. धारा 3 या 4 के उपबंधों के उल्लंघन के लिए सामान्यतया क्या दंड है?
उ० :– पहले दोशसिद्ध के लिए दो वर्श तक कारावास और दो हजार रूपये तक का जुर्माना। प चात्वर्ती दोशसिद्धि के लिए छः महीने से पाँच वर्श तक की कारावास तथा दस हजार से एक लाख रूपये तक का जुर्माना हो सकता है।

प्र० 30. इस अधिनियम के अन्तर्गत किसी कम्पनी द्वारा किए गए अपराध के लिए कौन उत्तरदायी होगा?
उ० :– प्रत्येक व्यक्ति जो अपराध होने के समय कम्पनी कारोबार संचालन में भार–साधक रहा हो तथा स्वयं कम्पनी को भी अपराध के लिए दोशी माना जाएगा।

LEGAL SUCCESS

प्र० 31. क्या कंपनी के अभियुक्त भार–साधक व्यक्ति को तब भी दंडित किया जा सकता है जब वह साबित करता है कि अपराध उसके बिना जानकारी के हुआ या उसने अपराध होने से रोकने के सारे प्रयत्न किये?

उ० :– नहीं।

प्र० 32. ऐसी स्थिति में किसे दंडित किया जाएगा जब यह साबित होगा कि किसी कम्पनी के द्वारा अपराध हुआ है और अपराध निदे ाक, प्रबंधक, संचित या पदाधिकारी की सम्पति से या मनोनुकुलता से या उनकी उपेक्षा से हुआ हैं?

उ० :– ऐसी स्थिति में कंपनी के निदे ाक, प्रबंधक, संचित या पदाधिकारी के विरूद्ध मुकदमा चलाकर दंडित किया जा सकता है।

प्र० 33. इस धारा में ''कंपनी'' का क्या अर्थ है?

उ० :– इसका अर्थ है कोई भी निगमित निकाय और इसके अन्तर्गत व्यवसाय संघ या व्यक्तियों का संघ भी आता है।

प्र० 34. ''निदे ाक'' का क्या अर्थ है?

उ० :– फर्म से संबंधित ''निदे ाक'' का मतलब है एक फार्म का भागीदार।

प्र० 35. इस अधिनियम के अन्तर्गत किसी कंपनी को किसी अपराध के लिए सामान्यतया क्या दंड दिया जा सकता है?

उ०:– जुर्माना न कि कारावास।

प्र० 36. कम्पनी द्वारा किये गये अपराध के लिए अगर कोई व्यक्ति दोशी पाया जाता है तो उसे किस तरह का दंड किया जा सकता है?

उ० :– उसे कारावास और जुर्माना दोनों दिया जा सकता है।

8. अपराध संज्ञेय और जमानतीय होंगे

प्र० 37. इस अधिनियम के अन्तर्गत किस तरह का अपराध आता है?

उ० :– यह संज्ञेय अपराध होता है जिसका मतलब है कि अभियुक्त व्यक्ति को बिना वारंट के गिरफ्तार किया जा सकता है।

प्र० 38. क्या यह एक जमानतीय अपराध है?

उ० :– हाँ, यह एक जमानतीय अपराध है जिसका मतलब होता है कि अभियुक्त व्यक्ति को अधिकार है कि वह थाने के भारसाधक पुलिस अधिकारी से जमानत प्राप्त कर सकता है।

9. वि वास में लेकर किए गए कार्य का संरक्षण

प्र० 39. क्या केन्द्र सरकार या किसी राज्य सरकार या उनके अधिकारियों के विरूद्ध वि वास में लेकर किये गये कार्यों के लिए इस अधिनियम के तहत कोई दावा, अभियोजन या कोई अन्य कानूनी कार्यवाई की जा सकती है?

उ० :– नहीं।

10. नियम बनाने की भाक्ति

प्र० 40. इस अधिनियम के प्रावधानों को लागू करवाने संबंधी नियम बनाने के लिये कौन स ाक्त है?

उ० :– केन्द्रीय सरकार।

प्र० 41. नियम बनाने की क्या प्रक्रिया है?

उ० :– केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाये गये नियमों को लागू करने से पहले सरकारी बजट में सूचित किया जाता है।

प्र० 42. किन–किन विशयों पर नियम बनाये जा सकते हैं?

उ० :– निम्नलिखित विशयों पर नियम बनराये जा सकते हैं–
(क) कि विज्ञापनों और दूसरे वस्तुओं की जब्ती किस प्रकार से की जाएगी।
(ख) कि जब्ती सूची किस तरह की जाएगी और उसे उस व्यक्ति को किस प्रकार दंडित किया जाएगा जिसका विज्ञापन या वस्तु जब्त हुई है।

राश्ट्रीय महिला आयोग द्वारा सुझाव

राश्ट्रीय महिला आयोग ने महिलाओं का अि ाश्ट रूपण अधिनियम (निशेध अधिनियम) 1986 को प्रभावी बनाने के लिए कुछ सुझाव दिए। वे इस प्रकार हैं –

- कानून को तोड़ने वालों को खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही करने के लिए इस कानून में प्रावधान बनाए जाए।
- राश्ट्रीय महिला आयोग ने सुझाया कि नये से नये उपकरण व तकनीक जैसे एम एम एस, इंटरनेट, वीजियुल मीडिया, टी०वी०, डिजिटल मीडिया इत्यादि पर भी इस कानून के उपबंधों को लागू किया जाए।
- विज्ञापन की परिभाशा को विस्तृत कर उसमें लेसर, बिजली या धुँए की तकनीक के प्रयोग द्वारा उत्पन्न विज्ञापनों को भी सम्मिलित किया जाए।
- आयोग द्वारा निशेध व दंड संबंधित कुछ और प्रावधानों को लेकर एक पाठ का सुझाव दिया गया। आयोग ने सुझाया कि किसी भी अपराधी को इस अधिनियम के तहत दो माह से कम की सजा नहीं दी जानी चाहिए। तत्प चात् अपराध करने पर कम से कम छ माह के कारावास का दंड दिया जाना चाहिए जो अधिकतम पांच वर्श तक हो।
- केन्द्र स्तर पर केन्द्रीय सरकार को एक अधिकरण का गठन करना चाहिए जो महिलाओं से संबंधी किसी भी प्रका ान, प्रचार, प्रसारण इत्यादि को नियममित करे।
- इस अधिनियम का नेतृत्व आयोग की मैम्बर सेक्रेटरी करे और इसमें भारत के विज्ञापन काउंसिल, प्रेस काउंसिल, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय तथा महिलाओं के क्षेत्र में कार्य करने वाले संगठनों से प्रतिनिधि हो।
- यह अधिकरण ि ाकायतें, अपील या संबंधित परे ाानियों पर सुनवाई करेगा और स्वयं भी किसी भी आपत्तिजनक विज्ञापन प्रका ान के विरूद्ध कार्यवाही आरंभ करने के लिए स ाक्त होगा तथा किसी भी कार्यक्रम या विज्ञापन संबंधी टेप या प्रका ान को उसके समक्ष पे ा करने का आदे ा देने के लिए स ाक्त होगा।
- यह अधिकरण केन्द्र सरकार को गाइडलाइन व कानून में सं ाोधन संबंधी सुझाव देगा और इसे सभी भाक्तियाँ प्राप्त होगी जो किसी भी सिविल कोर्ट की होती हो।

कानून को प्रभावी ढंग से किस प्रकार लागू किया जाए

अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए किसी भी कानून को किस प्रकार लागू किया गया हो उस पर निर्भर होती है। हमारे कानूनों में से ज्यादातर कानून दन्तहीन है। वे महज दिखावे की वस्तु है। एक खासी संख्या ऐसे कानूनों की है जो कि किसी समस्या के उत्पन्न होने पर महज हल्ला–हंगामा भाांत करने के लिए बनाए जाते है। अधिनियम होने के समय लागू करने के बारे में कोई नहीं सोचता। आम लोगों की भागीदारी, भारत मे निरक्षरता, उपेक्षा और उदासीनता की वजह से इस ओर बहुत कम है। किसी भी प्रजातांत्रिक सरकार की व्यवस्था में कानून तब तक कारगर तरीके से लागू नहीं किए जा सकते, जब तक की लोगों की सक्रिय भागीदारी और सहयोग न हो।

कानून लागू करने वाली सरकारी अभिकरण / माध्यम, जैसे पुलिस, अफसर, अधिवक्ता एवं न्यायाधी ाों की उपेक्षा और उदासीनता की वजह से बहुत सारे कानून जो कि महिलाओं के फायदे के लिए बने हैं, प्रभाव ढंग से लागू नहीं हो पाते। यह स्थिति तभी बदल सकती है जब लोगों के अंतकरण को जागृत किया जाए, खासकर महिलाओं की उनके कर्तव्य के बारे में कि वे अपने प्रसुविधा के लिए कानून को लागू करवाने में सक्रिय भागीदार बनें। यह कानून उनके हित में है। इस अधिनियम को प्रभावी रूप से कार्यान्वयन के लिए यहाँ कुछ सुझाव दिए गए हैं।

1. महिलाओं को सामर्थ्य बनाने एवं उन्हें उनके अधिकारों की रक्षा के लिए जहाँ भी संभव हो महिला संगठनों की स्थापना एवं उनका पंजीकरण करना चाहिए।
2. महिला संगठनों द्वारा कानून का आलोचनात्मक अध्ययन होना चाहिए ताकि वे उसकी खामियाँ निकाल सके तथा उसे प्रभावपूर्ण ढंग से लागू करवाने के तरीके एवं उपाय सुझा सके।
3. महिला संबंधित कानूनी भाोधकर्ता अधिनियम की प्रभावकारिता और उसके उपबंधों के कार्यान्वयन में आने वाली समस्याओं के लिए पुलिस अधिकारी, प्र ाासनिक अधिकारी, अधिवक्ता, न्यायाधी ा एवं आम आदमियों से उनकी राय लें।
4. पुस्तक, पत्रिका और विज्ञापनों के जरिए महिलाओं की अि ाश्ट रूपण करने वालों के खिलाफ लड़ने के लिए महिला संगठनों को तहकीकी पत्रकार, पुलिस अधिकारी तथा कानून कार्यकर्ताओं को समर्थन प्राप्त करने की कोि ा ा अव य करनी चाहिए।
5. महिला मॉडलों को यह समझना जरूरी है कि वे धन कमाने के लिए अपने भारीर का अ लील प्रद ान न करें। उन्हें उनके अि ाश्ट कार्यों के कानूनी परिणाम से भी अवगत कराना चाहिए।
6. इस अधिनियम की धारा 5 के अनुसार महिला कल्याण में लगे सामाजिक कार्यकर्ताओं को राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किए गए राजपत्रित अधिकारी को इसकी सूचना देनी चाहिए। इस अधिनियम के अन्तर्गत आने वाले अपराधों के लिए राजपत्रित अधिकारी किसी भी स्थान में प्रवे ा कर तला ाी करने एवं सबूत इकट्ठा करने के लिए सक्षम किये जाने चाहिए।
7. महिला कार्यकर्ताओं औ महिला संगठनों को इस अधिनियम और भारतीय दंड संहिता के तहत आपत्तिजनक वस्तुओं या अ लील तस्वीरों के लिए अपराधी के विरूद्ध पुलिस थानों में प्राथमिक सूचना रिपोर्ट (FIR) अव य दर्ज करानी चाहिए।
8. पुस्तकों, पत्रिकाएँ, अखबार एवं विज्ञापन के प्रका ाकों एवं सम्पादकों को महिलाओं की अि ाश्ट आकृति एवं तस्वीर प्रका ान से रोकने के लिए सूचना भेजनी चाहिए।
9. ऐसे सरकारी अधिकारियों के विरूद्ध जो इस अधिनियम के उपबंधों का उल्लंघन करने वालों के विरूद्ध कानूनी कार्यवाई नहीं करते, महिला संगठनों तथा महिला कार्यकर्ताओं को परमादे ा के रूप में लोकहित याचिका उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय में दायर करनी चाहिए।

इस कानून को प्रभावी बनाने के लिए कौन कदम उठा सकता है?

1. सरकार— महिलाओं की गरिमा को बनाए रखने के लिए सरकारी तंत्र कुछ महत्वपूर्ण कदम उठा सकता है। उपयुक्त नीतियाँ बनाकर तभा सभी नीतियाँ व कानून ठीक प्रकार लागू हो सरकार इस दि ाा की ओर एक महत्वपूर्ण कदम उठा सकती है।
2. वैधानिक रूप से गठित उपक्रम जैसे राश्ट्रीय महिला आयोग को स ाक्त किया गया है कि महिलाओं के अि ाश्ट रूपण के विरूद्ध कदम उठा सके। राश्ट्रीय महिला आयोग के विजन, स्ट्रेटजी एवं प्रोग्राम दस्तावेज में दिए गए उसके लक्ष्यों में एक यह भी हैं कि मीडिया में महिलाओं के बढ़ते अि ाश्ट रूपण के खिलाफ आवाज उठाये। आयोग द्वारा हाल ही में इस कानून में बदलाव के लिए सुझाव दिए गए हे। उसे अपनी भाक्तियों का प्रयोग इस कानून को प्रभावी बनाने के लिए करना होगा जो उसका कर्त्तव्य भी है कि वह प्रयास करे कि मीडिया द्वारा महिलाओं की सकरात्मक छवि बने।
3. मानव अधिकार आयोग राश्ट्रीय मानव अधिकार आयोग महिला अधिकारों के मुद्दों को आगे बढ़ाने व उन्हें संरक्षण प्रदान करने की अहम भूमिका निभा सकते हैं। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 2 के अनुसार मानव अधिकार की परिभाशा में वे सभी अधिकार आते हैं जो किसी भी व्यक्ति के जीवन व समानता, स्वतंत्रता और गरिमा से संबंधित हो और जिन्हें संविधान द्वारा स्थापित किया हो या अन्तर्राश्ट्रीय स्तर पर जिन अधिकारों को मान्यता दी गयी हो और वे भारत में न्यायालयों द्वारा लागू किए जा सके। राश्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने मीडिया द्वारा महिला गरिमा हनन् के मामले में सुनवाई भी की है।
4. प्रेस काउंसिल भारतीय प्रेस काउंसिल अधिनियम 1972 द्वारा एक वैधानिक निकाय गठित किया गया जिसका उद्दे य है प्रेस की स्वतंत्रता संरक्षित करना व समाचार पत्र व न्यूज एजेंसियों के मानकों में सुधार लाना व उन्हें लागू करना। प्रेस काउंसिल अधिनियम की धारा 14 द्वारा काउंसिल को स ाक्त किया गया कि वे सभी अपमानजनक कार्यों रिपोर्ट इत्यादि के विरूद्ध कार्यवाही करे। धारा 14
   (1) के तहत प्रेस काउंसिल किसी भी ऐसे व्यक्ति के विरूद्ध कार्यवाही कर सकती है जो ऐसा कार्य कर रहा हो जिससे किसी भी व्यक्ति की गरिमा को ठेस पहुँचे या वह कार्य अपमानजनक हो।

LEGAL SUCCESS

5. अन्य निकाय स्वयं सेवी संस्थाएँ वे अन्य इस प्रकार के निकाय मीडिया द्वारा महिलाओं के अि ाश्ट रूपण के विरूद्ध कदम उठा सकते है। कई भाहरों में बढ़ते अि ाश्ट चित्रण के विरूद्ध मीडिया वाच ग्रुप या ऐसे समूह गठित हुए है जो महिला गरिमा के मुद्दों पर नजर रखते हो और ऐसे किसी भी कार्य के विरूद्ध कदम उठाते हो।
   कुछ स्वयं सेवी संस्थाओं द्वारा महिलाओं के अ लील चित्रण के विरूद्ध फोरम का गठन किया गया। ये संस्थाएँ मानती हैं कि अ लीलता का मुख्य कारण है मन का प्रदूशण। यद्यपि विचारों की स्वतंत्रता व अ लीलता के बीच फासला कम है फिर भी महिला गरिमा के विरूद्ध किसी भी अि ाश्ट रूपण को गंभीरता से लेना अनिवार्य है।
   कई महिला संगठन मीडिया द्वारा महिलाओं के अपमानजनक चित्रण के विरूद्ध आवाज उठा रहे हैं उदाहरणतः ऐसे विज्ञापन जो महिलाओं की नकारात्मक छवि का प्रद िन करते हो या उन्हें नीचा दिखाते हो जैसे बेटी के विवाह के लिए अभिभावकों को दहेज बचाने के लिए प्रेरित करना या ये दिखाना कि अच्छी गृहणि केवल वही स्त्री है जो आज्ञाकारी हो या महिला केवल उपभोग की वस्तु है या वे महिला के व्यक्तित्व को किसी उपभोग की वस्तु की तरह द ाति हो इन सभी प्रकार के चित्रण के विरूद्ध आवाज उठाई जा रही है।
6. स्वयंनियंत्रण एक सर्वव्यापी कोड है जो व्यापार द्वारा स्वयं नियंत्रण के लिए गठित की जाती है। एक जिम्मेदार मीडिया की आव यकतास है जो महिलाओं की सकारात्मक छवि का प्रद िन करे और महिलाओं के स ाक्तिकरण में योगदान दे। मीडिया की जवाबदेही समय की मांग है।
7. लोग व समाज जनता इस मुद्दे के विरूद्ध आवाज उठा एक अहम भूमिका निभा सकते हैं।

परिि ाश्ट
भारतीय दंड संहिता
धारा 292 अ लील पुस्तकों आदि का विक्रय आदि

प्र० 43. कोई भी पुस्तक, पुस्तिका, कागज, लेख, रेखाचित्र, रंगचित्र, रूपण, आकृति या अन्य वस्तु को कब अ लील माना जाएगा?

उ० :– ऐसे लोगो की नजर में जो ऐसी वस्तुओं को पढ़ते, देखते या सुनते हैं कोई वासना की भावना या रूचि पैदा करता है या उन्हें दुराचारी या भ्रश्ठ करता है, तब ऐसी वस्तुओं को अ लील समझा जाएगा।

प्र० 44. धारा 292 के अंतर्गत अपराध करने पर किसे दण्डित किया जाएगा?

उ० :– जो कोई।

(क) किसी अ लील पुस्तक, कागज, रेखाचित्र, रंगचित्र, रूपण या आकृति या किसी भी अन्य अ लील वस्तु को चाहे वह कुछ भी हो, बेचेगा, भाड़े पर देगा, वितरित करेगा, लोक प्रदि ात करेगा, या उसको किसी भी प्रकार परिचालित करेगा, या उसे विक्रय भाड़े, वितरण, लोक प्रद िन या परिचालन के प्रयोजनों के लिए रचेगा, उत्पादित करेगा या अपने कब्जे में रखेगा, अथवा

(ख) किसी अ लील वस्तु का आयात व निर्यात या प्रवहण पूर्वोक्त प्रयोजनों में से किसी प्रयोजन के लिए करेगा या यह जानते हुए या यह वि वास का कारण रखते हुए करेगा कि ऐसी वस्तु बेची, भाड़े पर दी, वितरित या लोक प्रदि ात या किसी प्रकार से परिचालित की जाएगी, अथवा

(ग) किसी ऐसे कारोबार में भाग लेना या उससे लाभ प्राप्त करेगा, जिस कारोबार में वह यह जानता है यह वि वास करने का कारण रखता है कि कोई ऐसी अ लील वस्तुएँ पूर्वोक्त प्रयोजनों में से किसी प्रयोजन के लिए रची जाती, उत्पादित की जाती, क्रय की जाती, रखी जाती, निर्यात की जाती, प्रवहण की जाती, लोक प्रदि ात की जाती या किसी भी प्रकार से परिचालित की जाती है अथवा

(घ) यह वि ाश्ट करेगा या किन्हीं साधनों द्वारा चाहे वे कुछ भी हों यह ज्ञात कराएगा कि कोई व्यक्ति किसी ऐसे कार्य में, जो इस धारा के अधीन अपराध है, लगा हुआ है या लगाने के लिए तैयार है या यह कि कोई अ लील वस्तु किसी व्यक्ति से या किसी व्यक्ति के द्वारा प्राप्त की जा सकती है, अथवा

(ङ) किसी ऐसे कार्य को जो इस धारा के अधीन अपराध है करने की प्रस्थापना करेगा या करने का प्रयत्न करेगा, उसे दण्डित किया जाएगा।

प्र० 45. प्रथम दोशसिद्धि के लिए क्या दण्ड दिया जा सकता है?

LEGAL SUCCESS

उ० :– दो वर्श तक का कारावास और साथ में दो हजार रूपए का जुर्माना भी।

प्र० 46. द्वितीय या प चात्वर्ती दोशसिद्धि के लिए क्या दण्ड दिया जा सकता है?
उ० :– पाँच वर्श तक का कारावास और साथ में पाँच हजार रूपए तक का जुर्माना भी।

प्र० 47. क्या इस धारा का विस्तार निम्नलिखित पर लागू होगा– कोई ऐसी पुस्तक, पुस्तिका, कागज, लेख, रेखाचित्र, रूपण या आकृति –
(क) जिसका प्रका ान लोकहित में होने के कारण इस आधार पर न्यायोचित हो गया है कि ऐसी पुस्तक, पुस्तिका, कागज, लेख, रेखाचित्र, रंगचित्र, रूपण या आकृति विज्ञान, साहित्य, कला या विद्या या सर्वजन संबंधी अन्य उद्दे यों के हित में है अथवा
(ख) जो सद्भावपूर्वक धार्मिक प्रयोजनों के लिए रखी व उपयोग में लाई जाती है?
उ० :– नहीं।

प्र० 48. क्या इस धारा का विस्तार निम्नलिखित पर लागू होगा – कोई ऐसा रूपण जो –
(क) प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अव ोश अधिनियम, 1958 के अर्थ में प्राचीन संस्मारक पर या उसमें, अथवा
(ख) किसी मन्दिर या उसमें या मूर्तियों के प्रवहन के उपयोग में लाए जाने वाले या किसी धार्मिक प्रयोजन के लिए रखे या उपयोग में लाए जाने वाले किसी रथ पर, तक्षित, उत्कीर्ण, रंगचित्रित या अन्यथा रूपित हों?

धारा 293 तरूण व्यक्ति को अ लील वस्तुओं का विक्रय आदि

प्र० 49. क्या किसी बीस वर्श से कम आयु के किसी व्यक्ति को जो किसी अ लील वस्तु को बेचेगा, भाड़े पर देगा, वितरण करेगा, प्रद ित करेगा या परिचालित करेगा या ऐसा करने की प्रस्थापना या प्रयत्न करेगा, को दण्डित किया जा सकता है?
उ० :– हाँ।

प्र० 50. प्रथम दोशसिद्धि पर ऐसे व्यक्ति को क्या दण्ड दिया जा सकता है?
उ० :– तीन वर्श तक का कारावास और दो हजार रूपए।

प्र० 51. द्वितीय या प चात्वर्ती दोशसिद्धि पर क्या दण्ड दिया जा सकता है?
उ० :– सात वर्श तक का कारावास और पाँच हजार रूपए तक का जुर्माना।

294 अ लील कार्य और गाने

प्र० 52. कोई व्यक्ति यदि किसी लोक स्थान में अ लील कार्य करें या अ लील गाने, पवांड़े या भाब्द गाए, सुनाए या उच्चारित करे, जिससे दूसरों को क्षोभ होता हो तो क्या ऐसे व्यक्ति को दण्डित किया जा सकता है?
उ० :– हाँ।

प्र० 53. ऐसे व्यक्ति की क्या सजा/दण्ड है?
उ० :– तीन महीने तक का कारावास या जुर्माना या दोनों।

अ लीलता के विरूद्ध अन्य कानूनी प्रावधान

इन्फार्मे ान टेकनौलाजी एक्ट 2000: इस अधिनियम की धारा 67 के अनुसार जो भी ऐसी अ लील चित्रण को प्रका ित करेगा, इलेक्ट्रानिक प्रकार से उसे देखें, सुने, पढे, उसे वासना की भावना या रूचि पैदा हो या वे भ्रश्ट करता हो उसे दंडित किया जाएगा। प्रथम दोश सिद्धि पर पाँच वर्श तक का कारावास या एक लाख रूपया जुर्माना या दोनों व प चातवर्ती दोशसिद्धि पर 10 वर्श का कारावास या दो लाख रूपये जुर्माना या दोनों। यहाँ अपराध सिद्ध करने के लिए अनिवार्य है कि अ लील चित्रण इलेक्ट्रानिक प्रकार से प्रका ित या ट्रांसमिट किया गया हो।

इस अधिनियम का तात्पर्य साईबर प्रोनोग्राफी से है वे इनमे वे सभी अपराधी माने जाते हैं जो इन्टरनेट की सेवाएँ उपलब्ध करवाते हो, वैब हास्टिंग करते हो, या ऐसी वेबसाइट बनाते हों।

तरूण व्यक्ति (हानिकारक प्रका ान) अधिनियम 1986: में कहा गया कि हानिकारक प्रका ान का अर्थ है कोई भी मैगेजिन पुस्तिका, समाचार पत्र व अन्य प्रका ा जिसमें कहानियों द्वारा, चित्र दिखाकर या बिना चित्र के यह द ाती हो (1) अपराध करना (2) हिंसा या क्रूरता (3) वे घटनाएँ जो भयानक व डराने वाली हो। इस प्रका ान द्वारा किसी भी तरूण व्यक्ति भ्रश्ट करती हो या जो भी उसे पढ़े या देखे उसे वे अपराध के लिए प्रेरित करे या हिंसा व क्रूरता की भावना उत्पन्न करता हो। जिम्मेदारी उस व्यक्ति की मानी जाएगी जो ऐसे प्रका ान को बेचेगा, भाड़े पर देगा, वितरित करेगा या किसी भी प्रकार प्रद ित करेगा, छापेगा, उसके पास ऐसा प्रका ान जब्त हो उसे छः माह का कारावास व जुर्मानें का दंड दिया जाएगा।

केबल व टेलीविजन (नियंत्रण) अधिनियम 1995: उन सभी विज्ञापनों को केबल नेटवर्क पर द ाने से पाबंदी लगाता है जो विज्ञापन या एडर्वटिसमेंट कोड के विपरीत हो। केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम 1994 के नियम 7 में इस विज्ञापन कोड को विस्तृत रूप से दिया गया है। इसके अनुसार ऐसे किसी भी विज्ञापन के प्रसारण पर मनाही है जो जाति रंग, राश्ट्रीयता, इत्यादि पर आधारित हो। इस नियम 7(2) में स्पश्ट किया गया कि ऐसा कोई भी विज्ञापन जारी नहीं किया जा सकता जो नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों का हनन करता हो खासतौर पर महिलाओं की नकरात्मक छवि दिखाता हो उस पर मनाही है। महिलाओं का उस रूप में नहीं दिखाया जा सकता जहाँ उनका स्तर समाज में नीचा हो। केबल आपरेटर इस प्रकार के चित्रण के लिए उत्तरदायी माने जाएगें और ये उनका दायित्व है कि उसके केबल द्वारा दिखाये जाने वाले कार्यक्रम ि ाश्टता के दायरे में हो। आगे अधिनियम में स्पश्ट किया गया कि किसी भी सामाजिक बुराई, जैसे दहेज, बाल विवाह इत्यादि पर आधारित कार्यक्रम हो उसे दिखाने पर पाबंदी है।

एडवर्टाइसमेंट कांऊसिल आफ इंडिया: एक स्वयं नियंत्रक कांउसिल है जिसका गठन 1985 में हुआ। इस कांउसिल ने एक कोड आफ कन्डक्ट बनाया। जिसका उद्दे य या विज्ञापन में महिलाओं के अ लील प्रद ान पर रोक लगाना। इस काउंसिल का कार्य है कि नियंत्रणों को लागू करे व उपभोक्ताओं को सही व सच जानकारी दे, जो सभ्यता और ि ाश्टता के दायरे में हो, किसी भी ऐसी वस्तु का प्रचार न करे जो समाज या व्यक्ति के लिए हानिकारक हो व कारोबार स्पर्धा के लिए अनुकूल हो।

सिनेमेटोग्राफी एक्ट 1952: द्वारा सेन्सर बोर्ड का गठन किया गया जिसका उद्दे य है सिनेमा द्वारा होने वाली हानि से समाज का बचाव तथा उससे संबंधित ि ाकायतों की सुनवाई विचार या उस पर अपील। यह फिल्म में उन दृ यों या डायलाग इतयदि की काट छाँट संबंधी कार्यों का निश्पादन करती हैं जिनके दिखाने से हानि होती हो व फिल्म के सर्टिफिके ान के लिए गाईडलाइन जारी करती है।

प्रेस कांउसिल अधिनियम 1978: के तहत प्रेस कांउसिल का गठन हुआ जिसका उद्दे य है समाचार पत्रों, न्यूज मैगेनिज व पत्रिकाओं का स्तर उँचा हो तथा यह सुनि चत करना है कि मीडिया जिम्मेदार हो। कांउसिल किसी भी एडिटर या जर्नलिस्ट के विरूद्ध ि ाकायत पर सुनवाई करने के लिए स ाक्त हे। यह समाचार पत्रों व प्रिंट मीडिया के मानक नियंत्रित करने के लिए आधारभूत ढांचा बना सकता है।

महिला गरिमा का अधिकार

केवल यही कुछ प्रावधान नहीं है जो महिला गरिमा के मुद्दे से संबंधित हो परंतु भारत के संविधान में भी अनुच्छेद 21 व 51 A में महिलाओं की गरिमा के बारे में वि ोश रूप से गारंटी दी गयी है।

मेनका गांधी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया के मामले में कोर्ट ने कहा कि जीवन के अधिकार का तात्पर्य केवल जिंदा रहने से ही नहीं है अपितु गरिमायुक्त जीवन से है। फ्रांसिस कोरा ली बनाम दिल्ली सरकार के मामले में भी इसी बात को दोहराया गया कि गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार सब को प्राप्त है और इसका अर्थ भारीरिक सुरक्षा नहीं बल्कि उससे कही अधिक है। महिलाओं को सभी मानव अधिकार प्राप्त है और उसमें गरिमा युक्त जीवन का अधिकार अहम है। चंद्रा कुमारी बनाम हैदराबाद पुलिस के मामले में कहा गया कि सुंदरता प्रतियोगिता जो महिलाओं की गरिमा के विपरीत हो व अपमानजनक हो वहाँ संविधान की धारा 21 का उल्लंघन होता है।

LEGAL SUCCESS

यूनिवर्सल डिकलेरे ान ऑफ ह्यूमैन राइटस व इंटरने ानल कावनेन्ट ऑफ सिविल एवं पालिटिक्ल राईटस में भी गरिमा युक्त जीवन के अधिकार को आधारभूत बताया गया है। भारत ने इन्टरने ानल कनवे ान फॉर सप्रे न ऑफ द सर्कुले ान ऑफ एण्ड ट्रेफिक इन आबसिन पब्लिके ान जो (1923) (International Convention for Supression of the circulation of and Traffic in obscene Publication) को साईन किया है।

वे मामले जहाँ एडवरटिसमेंट कांउसिल ऑफ इंडिया ने कदम उठाए

- 1995 में टफ भूज कंपनी ने एक विज्ञापन जारी किया जिसमें दो माडलो के भारीर पर केवल अजगर लिपट था और दोनों ने जूते पहने थें। इस विज्ञापन के विरूद्ध आवाज उठाई गई तब उसे वापिस लिया गया और उसे दिखाने पर पाबंदी लगाई गई। इसी प्रकार आनन्द बाजार पत्रिका के संपादक के विरूद्ध कदम उठाए गए जिसने एक टेनिस खिलाड़ी की अवांछनीय तस्वीर छापी।
- एक समाचार पत्र ने एक ऐसी प्रतियोगिता की घोशणा की जो महिलाओं के सम्मान के विरूद्ध थी परन्तु समाचार पत्र ने अपनी सफाई में कहा कि इससे उसकी बिक्री बढ़ती है तथा यह विनोदपूर्ण है। ि ाकायत की सुनवाई के प चात् उसे यह विज्ञापन हटाना पड़ा।
- 2007 में लक्स कोजी अंडरगारमेंट कंपनी ने एक कर्मि ायल निकाला जहाँ एक व्यक्ति उस कुत्ते के पीछे भाग रहा था जो उसका तौलिया खींच के भागा तभी कम कपड़ो में एक महिला ने आकर उस व्यक्ति को उसका कुत्ता ढूँढ़ने पर उसके गाल को छुआ। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने ऐसे विज्ञापन पर प्रतिबंध लगाया क्योंकि ये अ लील व भ्रश्ट करने वाला था।
- बेनेटन कंपनी द्वारा 2008 में एक विज्ञापन जारी किया गया जिसमें एक महिला को ऐसी मुद्रा में दिखाया गया जो भ्रश्ट हो साथ में केप ान दिया गया ''यू विल मेट वन्स इन्साइड'' जिसे कांउसिल ने बैन कर दिया। विज्ञापनकर्ताओं की दलील थी कि उसे अन्तर्राश्ट्रीय रीलिज के अनुसार बनाया गया है परंतु कांउसिल ने स्पश्ट किया कि विज्ञापनकर्ताओं को स्थानीय सभ्यता को ध्यान में रखना चाहिए।
- आई. एन. जी. व्यासा लाईफ इन् ायोरेन्स ने एक ऐसा विज्ञापन जारी किया जिसमें कहा गया ''एजूके ान ऑफ गर्ल चाइल्ड इज ए बर्डन''। इसकी टेग लाईन थी दिखने मे तो प्यारी है पर यह खुि ायाँ थोड़ीर भारी हैं। जिसका तात्पर्य था कि बेटी तो प्यारी है पर उसकी भाादी माँ बाप पर बोझ है। कांउसिल ने ठहराया कि ऐसे विज्ञापन से महिलाओं की स्थिति को नुकसान पहुँचता है और यह महिला सामानता के विरूद्ध है। कंपनी को अपना विज्ञापन बदलना पड़ा।

क्या एक फिल्म जो ऐतिहासिक मुद्दों पर बनी हो भारतीय सिनेमाटोग्राफी एक्ट के विरूद्ध है?

जी नहीं ऐसा माना कोर्ट ने सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिके ान चेन्नई बनाम यादवालय फिल्म 2007 के मामले में। इसमें कहा गया कि फिल्म निर्माता इन मुद्दों पर फिल्म बना सकते हैं। संविधान द्वारा व्यक्त करने की स्वतंत्रता कला प्रर्द ान पर भी लागू होती है। फिल्म से होने वाले प्रभाव को उन मानकों के आधार पर देखना चाहिए जो यथोचित व विवेकपूर्ण हो न कि कमजोर तथ्यों के आधार पर उन व्यक्तियों के नजरिए से जिन्हें हर विचार भयभीत करता हो इसी कारण यह तय करना आव यक है कि विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता व अ लीलता या अपमानजनक क्या है उसके बीच क्या फासला हो।

कुछ अन्य मामले

रणजीत उदे ाी बनाम महाराश्ट्र राज्य सरकार के मामले में कोर्ट ने भारतीय दण्ड संहिता की धारा 292 के तहत अ लील क्या है, उसे कैसे निर्धारित किया जाए इस पर टिप्पणी करते हुए कहा कि किसी भी कार्य को पूर्ण रूप से देखा जाना चाहिए, पर पैरा उधर या इधर देखने से नहीं मान लेना चाहिए कि वह किताब अि ाश्ट रूप से लिखी गयी है। पूरे कार्य को देखा जाए पर उस भाग पर भी ध्यान देना आव यक है जो अ लील हो, ये जानने के लिए कि क्या वह वाकई इतना अि ाश्ट रूपण कर रहा हो कि जो भी उस कार्य को देखे वह भ्रश्ट हो जाए या दुराचार की भावना विकसित हो। बदलते समाज के परिवे ा में किसी भी कार्य का क्या प्रभाव पड़ रहा है उसे नकारा नहीं जा सकता। यह आव यक है कि व्यक्त करने की स्वतंत्रता व नैतिकता के बीच क्या अंतर है उसे समझा जाए। चंद्रकांता कलय व ए. एस. कोकोदर बनाम महाराश्ट्र राज्य सरकार के मामले में कहा गया कि अ लीलता को परिभाशित करना कठिन है और इसके लिए कोई नियम बनाना आसान नहीं है क्योंकि हर दे ा में उस समाज के नैतिक अन्य मानकों के अनुसार इसको समझना होगा।

हैरानी की बात यह है कि गुजरात में 2009 में महिलाओं के अि ाश्ट रूपण (प्रतिबंध) अधिनियम 1986 के बनने के प चात् 22 वर्शों बाद पुलिस स्टे ान में इसे लागू करने के लिए इन्सपेक्टर की नियुक्ति हुई वो भी महिला पुर्नउत्थान संस्था द्वारा जनहित याचिका

दायर करने के प चात् तब गुजरात हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को इस अधिनियम को लागू करने के लिए स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को कहा। परन्तु जब राज्य सरकार ने कहा कि वह इन्सपेक्टर नियुक्त कर इस कानून को लागू करेगी तब कोर्ट ने इस मामले को खारिज कर दिया। उससे पहले न तो इस कानून के तहत कभी कोई मामला दर्ज हुआ न ही इसके लिए कोई कदम उठाए गए।

समरे ा बोस बनाम आनन्द मित्रा 1986 के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ठहराया कि आव यक नहीं है कि भद्दा लेख अ लील हो। भद्दा लेख अप्रिय हो सकता है परंतु उससे कोई व्यक्ति भ्रश्ट नहीं हो सकता जबकि अ लील लेख दुराचार की भावना पैदा करता है। कोर्ट ने कहा कि कुछ जगहों पर किताब भद्दे तरीके से लिखी गयी थी पर यह पढ़ने वाले की बुद्धि और विवेक पर है कि उस पुस्तक को पढ़ कर क्या निश्कर्श निकालता है।

राजकपूर बनाम राज्य सरकार 1980 के मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 292 व 293 (3) के तहत एक फिल्म के विरूद्ध केस दर्ज किया गया। तब न्यायमूर्ति श्री कृ णा अय्यर ने स्पश्ट किया कि कला, नैतिकता व कानून तीनों संवेदन ीील विशय है जहाँ न्याय को सामाजिक विज्ञान व आधार समझकर निर्णय लेना चाहिए। सभ्य समाज को ऐसे मामलों में अपनी भागीदारी निभाते हुए न्याय को स्थगित करने में मदद करनी होगी।

प्रतिमा नैथानी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 2006 के मामले में एक पोलिटिकल सांईस की अध्यापिका ने मुम्बई हाईकोर्ट के समक्ष इलेक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा दिखाई जाने वाली वयस्क अ लील फिल्मों व प्रिंट मीडिया द्वारा अ लील तस्वीरों के विरूद्ध रिट याचिका दायर की। न्यायालय ने फैसले में कहा कि किसी भी वयस्क व्यक्ति को ऐसी फिल्म देखने से सिनेमाटोग्राफी एक्ट ने प्रतिबंधित नहीं किया है। ऐसे द ीक हमे ाा एडल्ट सर्टिफिकेट फिल्म सिनेमा हॉल में देख सकते हैं। वे ऐसी फिल्में अपने निजी टी.वी. पर डी. वी. डी. , वी. सी. डी. इत्यादि माध्यमों द्वारा देख सकते हैं पर जन प्रसारण माध्यम पर ऐसी फिल्में दिखाना अवांछनीय हो सकता है।

जी.पी. लाम्बा बनाम तरूण मेहता 1988 के मामले में कहा गया कि बदलते परिवे ा में कोई भी किताबें या अन्य सामग्री जो फैमिली प्लानिंग के उद्दे य से आने वाली पीढ़ी को सेक्स का ज्ञान दे रही हो उसे अ लील नहीं माना जा सकता।

अजय गोस्वामी बनाम भारत राज्य सरकार के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अ लीलता की परिभाशा समाज के बदलते परिवे ा के अनुसार समझनी चाहिए और यह हर सभ्य समाज में उसकी पहचान के आधार पर अलग हो सकती है। कोर्ट ने यह भी स्पश्ट किया हर सभ्य समाज इस विशय पर कानून बना सकता है और अ लीलता पर सैन्सरि ाप की कैंची चला सकता है।

मुम्बई हाई कोर्ट ने 2004 की रिट याचिका संख्या 1232 के मामले में कहा कि समाचार पत्र इत्यादि में उन विज्ञापनों का प्रका ान प्रतिबंधित है जो वे यावृत्ति का निमंत्रण माने जा सकते हो जो महिलाओं के अि ाश्ट रूपण (प्रतिबंध) अधिनियम 1986 का उल्लंघन करते हैं।

डायरेक्टर जनरल ऑफ दूरद ीन बनाम आनंद पटवर्धन 2005 के मामले में कोर्ट ने कहा कि अ लील सामग्री से होने वाली हानि से समाज को बचाने के लिए व विचारों को व्यक्त करने की स्वतंत्रता सुनि चत करने के बीच तुलना करना आव यक है। न्यायालय ने आगे कहा कि किसी भी जज को किताब को पढ़ने वाले की दृश्टि से यह समझना चाहिए कि उस किताब को पढ़कर किसी भी उम्र के पाठक पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। अि ाश्टता तय करने के लिए यह समझना आव यक है कि

1. क्या वह सामग्री वहां के स्थानीय कानून के अनुसार अपमानजनक है।
2. क्या एक आम व्यक्ति उसे पढ़ कर भ्रश्ट हो सकता है।
3. क्या उस सामग्री को पूर्ण व गंभीर रूप से देखने पर ये कहा जा सकता है कि कलात्मक, राजनैतिक या वैज्ञानिक स्तर पर उसका मूल्य नहीं है।

हाल ही में **एस. खु ाबू बनाम अम्मल 2010 के मामले** की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हालांकि विचारों को व्यक्त करने के स्वतंत्रता का अधिकार पूर्णतया उपलब्ध नहीं है और उस पर नैतिकता के आधार पर उचित प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं, फिर भी आव यकता है कि हर प्रकार के विचारों को व्यक्त करने के लिए समाज में जगह बनाए जहां लोकप्रिय विचारों के विपरित

LEGAL SUCCESS

रखे जा सकें क्योंकि विचारों का अदान प्रदान समाज की प्रगति के लिए अनिवार्य है। समाज में खुलापन लाना, नागरिकों को विभिन्न पहलुओं से अवगत कराना न केवल राजनैतिक स्तर पर सही मायनों में बेहतर भाासन के लिए अनिवार्य है अपितु सामाजिक बदलाव के लिए भी आव यक है।

LEGAL SUCCESS